		पत्रावली पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता हाजिर। बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस 15-2-18 को पेश हो।
	15-2-18	पत्रावली पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता हाजिर। बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.5.18 को पेश हो।
		30-5-18 वकील उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य /अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18-9-18 को पेश हो।
	1-8-2018	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में पेश हुई। [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] मौजा चिनवाहेड़ा के [illegible] आ० ख० 727, 728, 879 किता 3 कुल रकबा 3.17 हे० के खातेदारी की होकर कब्जे काश्त में आराजियात स्थित है। जिसे [illegible] उपरोक्त वर्णित आराजीयात में कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर एवं ... अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हक व अधिकार नहीं है फिर भी प्रकरण प्रवेश कर मेरे कब्जे मे हस्तक्षेप करना चाहता है पत्थरगढ़ी के जरिये मेरी उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे नाजायज कब्जा करने पर उतारू है, जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 11.6.2012 को पत्थरगढ़ी करा मेरी आराजीयात मे प्रवेश करने का प्रयास किया। मना करने पर झगड़े, झगड़े पर उतारू हो गये। अत: प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रा.प. मे वर्णित आराजीयात मे से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे नाजायज कब्जे का प्रयास नहीं करे व हमारी आराजीयात मे प्रवेश कर पत्थर नहीं रोपे ना ही पत्थरगढ़ी करावे। इसने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रकरण प्रस्तुत हुआ जवाब अनुसार सम्मन बमय आवेदन करते हुये अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी की आराजीयात मे कभी प्रवेश नहीं किया व उसके कब्जे मे कभी भी हस्तक्षेप किया। अप्रार्थी नं. 2 ने स्वयं की खातेदारी वाके मौजा की आ.न. 887, 888, 889, 890, 892, 3386/887 कुल किता 6 कुल रकबा 2.19 हे0 की पत्थरगढ़ी का आदेश ही न्यायालय से प्राप्त कर आदेश [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहवाल हुक्म में
	प्रार्थीगण की आराजियात मे प्रवेश करने का प्रयास भी वैध नहीं होता है। इस अप्रार्थी को स्वयं की खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी करने का वैधानिक अधिकार है अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करने से अप्रार्थी को अपार क्षति होगी। प्रार्थीगण के किसी प्रकार का अजार-[illegible] नहीं किया गया है प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य मनगढ़न्त अंकित किये हैं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही बनता है। प्रार्थना-पत्र इस स्तर पर खारीज किया जाता है पत्रावली [illegible] पेश हो। आदेश सुनाया गया।	